[2020] 1 एस. सी. आर 976

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

ए.

बाल अधिकारों और संस्थाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग।

बनाम

डॉ. राजेश कुमार और ओआरएस।

बी.

(2019 की सिविल अपील संख्या 7968)

13 जनवरी, 2020

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005-पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना प्रस्तुत करना-फरवरी, 2017 में ऐसी खबरें आई थीं कि पश्चिम बंगाल में एक बाल-देखभाल संस्थान बड़े पैमाने पर बच्चों की तस्करी में लिप्त था-एन. सी. पी. सी. आर. ने आई. डी. 1 पर इन रिपोर्टों का संज्ञान लिया और एन. सी. पी. सी. आर. के दो सदस्यों ने राज्य में जाकर राज्य के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें कुछ जानकारी प्रदान करें जो एन. सी. पी. सी. आर. के अनुसार प्रदान नहीं की गई थी-ए. डी. जी. पी., सी. आई. डी. को एन. सी. पी. सी. आर. के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया था-ए. डी. जी. पी. ने उन्हें बुलाने के लिए एन. सी. पी. सी. आर. के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने एन. सी. पी. सी. आर. के निर्देश पर मुख्य रूप से इस आधार पर रोक लगा दी कि चूंकि राज्य आयोग ने आई. डी. 2 पर मामले का संज्ञान लिया था।यदि किसी भी आयोग द्वारा किसी भी अधिकारी से जानकारी मांगी जाती है, तो वह आयोगों के पत्रों का जवाब देने के लिए बाध्य है-एक आयोग यह मुद्दा उठा सकता है कि चूंकि वह मामले को अपने हाथ में ले चुका है और इसकी जांच कर रहा है, इसलिए राष्ट्रीय आयोग को एक और जांच शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह का मुद्दा उठाना अधिकारियों का काम नहीं है-क्या जांच वास्तव में एक अधिकारी द्वारा शुरू की गई है या नहीं-इसका निर्णय आयोग द्वारा या न्यायालय द्वारा किया जाना है-इसलिए, एडीजीपी को एनसीपीसीआर के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के बजाय एनसीपीसीआर को जानकारी देनी चाहिए थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 -एस. 13 (2)-चाहे एस.13(2) सी. पी. सी. आर. अधिनियम दो आयोगों (एन. सी. पी. सी. आर. और राज्य आयोग) को जल-रोधी डिब्बों में रखता है जहां वे एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को हटा देते हैं-आयोजितःकिसी भी आयोग के अधिकार क्षेत्र को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है -

एच.

976 ए.

977

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार ए.

एस द्वारा रखी गई एकमात्र बाधा।13(2) यह है कि यदि राज्य आयोग ने पहले ही जांच शुरू कर दी है, तो राष्ट्रीय आयोग को स्वाभाविक रूप से मामले की जांच करने से बचना चाहिए-हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय आयोग अन्य बड़े प्रश्नों में नहीं जा सकता है, जिनके कारण बाल अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट घटनाएं हुई हैं, जिनकी जांच करने की आवश्यकता है-जहां तक अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जैसे कि एक बच्चे को अवैध रूप से गोद लेने के लिए विदेश भेजा जा रहा है-यहां फिर से, यदि राज्य आयोग ऐसे मामले में राष्ट्रीय आयोग या किसी अन्य राज्य आयोग से सहायता मांगता है, जहां बच्चे की अवैध रूप से तस्करी की गई हो सकती है, तो राष्ट्रीय आयोग या अन्य राज्य आयोग (आयोगों) को मामले की जांच करने वाले आयोग के साथ सहयोग करना चाहिए-दोनों आयोगों को बाल अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट घटनाओं की जांच करने के सर्वोत्तम हित के लिए काम करना होगा।

बी.

सी.

आंशिक रूप से अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** इस मामले में निर्णय के लिए निम्नलिखित तीन प्रश्न उठते हैंः

डी.

(i) क्या एन. सी. पी. सी. आर. द्वारा **03.03.2017** पर संज्ञान लेने और **07.03.2017** पर जांच शुरू करने से पहले मामला पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष लंबित था**?**

ई.

((ii) क्या सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा **13 (2)** दो आयोगों **(**एन. सी. पी. सी. आर. और राज्य आयोगों**)** को जलरोधी डिब्बों में रखती है जहां वे एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को हटा देते हैं**?**

(iii) क्या ऐसे मामले में जिसके अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं**,** एन. सी. पी. सी. आर. के अधिकार क्षेत्र**,** यदि कोई हो**,** को समाप्त किया जा सकता है**?[**पैरा **11] [985-**बी-डी**]**

एफ.

2. जहाँ तक तैयार किए गए उपरोक्त प्रश्नों का संबंध है**,** यह न्यायालय प्रश्न संख्या **1** का उत्तर यह मानते हुए देता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में**,** डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने **07.03.2017** तक जांच शुरू नहीं की थी।जहाँ तक प्रश्न संख्या **2** का संबंध है**,** इस न्यायालय का विचार है कि किसी भी आयोग की अधिकारिता को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है।धारा **13 (2)** द्वारा रखी गई एकमात्र बाधा यह है कि यदि राज्य आयोग ने पहले ही जांच शुरू कर दी है**,** तो राष्ट्रीय आयोग को स्वाभाविक रूप से इससे बचना चाहिए।

जी.

एच.

मामले में पूछताछ की जा रही है।हालाँकि**,** इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय आयोग अन्य बड़े प्रश्नों में नहीं जा सकता है जो बाल अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट घटनाओं का कारण बन सकते हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए।प्रश्न संख्या **3** के संबंध में यह न्यायालय मानता है कि राज्य आयोग को भी उन मामलों की जांच करने की शक्ति है जो उसके दायरे में आते हैं और भले ही अवैधता ऐसी हो कि इसके अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हों**,** जैसे कि एक बच्चे को अवैध रूप से गोद लेने के लिए विदेश भेजा जा रहा है।यहां फिर से**,** इस न्यायालय का विचार है कि यदि राज्य आयोग ऐसे मामले में राष्ट्रीय आयोग या किसी अन्य राज्य आयोग से सहायता मांगता है**,** जहां बच्चे की अवैध रूप से तस्करी की गई हो**,** तो राष्ट्रीय आयोग या अन्य राज्य आयोगों को मामले की जांच करने वाले आयोग के साथ सहयोग करना चाहिए।**[**पैरा **36] [1000-**डी-एफ**]3.** जैसा कि स्पष्ट रूप से कहा गया है**,** दोनों आयोगों को सहयोग की भावना से बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करना होगा।दुर्भाग्य से**,** इस मामले में कोई सहयोग नहीं हुआ है**,** बल्कि एक-दूसरे पर कीचड़ उछाला गया है।यह न्यायालय दोहराना और

इस बात पर फिर से जोर देना चाहेगा कि इसमें कोई क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे शामिल नहीं हैं। **[**पैरा **37] [1000-**जी**-**एच**]**

बी.

सी.

डी.

4. पुलिस अधिकारियों को यह महसूस करना चाहिए कि जब सी**.** पी**.** सी**.** आर**.** अधिनियम के तहत गठित आयोग कुछ प्रासंगिक जानकारी पूछते हैं**,** तो उन्हें सम्मानपूर्वक इसका जवाब देना चाहिए और तथाकथित 'अधिकार क्षेत्र' के विवाद को नहीं उठाना चाहिए।पुलिस अधिकारियों को भी यह समझना चाहिए कि इन आयोगों का गठन बच्चों के कल्याण के लिए किया गया है।यह मानते हुए भी कि डब्ल्यू**.** बी**.** सी**.** पी**.** सी**.** आर**.** ने जांच शुरू कर दी थी**,** कोई कारण नहीं है कि ए**.** डी**.** जी**.** पी**.,** सी**.** आई**.** डी**.** एन**.** सी**.** पी**.** सी**.** आर**.** को जानकारी प्रदान नहीं कर सकते थे। एन**.** सी**.** पी**.** सी**.** आर**.** के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाना उनका काम नहीं था। यदि किसी भी आयोग द्वारा किसी अधिकारी से जानकारी मांगी जाती है**,** तो वह आयोग के पत्रों का जवाब देने के लिए कर्तव्यबद्ध है।एक आयोग यह मुद्दा उठा सकता है कि चूंकि वह मामले को अपने हाथ में ले चुका है और इसकी जांच कर रहा है**,** इसलिए राष्ट्रीय आयोग को दूसरी जांच शुरू नहीं करनी चाहिए**,** लेकिन इस तरह का मुद्दा उठाना अधिकारियों का काम नहीं है।वास्तव में जांच शुरू की गई है या नहीं**,** यह एक अधिकारी द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।इसका निर्णय या तो आयोग द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा किया जाना है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

979

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार ए.

ए.

इसलिए**,** इस न्यायालय को देखते हुए**,** ए**.** डी**.** जी**.** पी**.,** सी**.** आई**.** डी**.** को बेहतर सलाह दी जाती कि वे एन**.** सी**.** पी**.** सी**.** आर**.** के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के बजाय एन**.** सी**.** पी**.** सी**.** आर**.** को जानकारी दें। **[**पैरा **33] [999-**सी**-**ई**]5.** उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए**,** इस न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार है कि एडीजीपी**,** सी**.** आई**.** डी**.** को वह जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो अब राज्य अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतीत होती है।यदि

ऐसी जानकारी नहीं दी गई है, तो एडीजीपी, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल के पद पर आसीन वर्तमान पदाधिकारी को इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से **15** दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति को जानकारी देने का निर्देश दिया जाता है।पश्चिम बंगाल राज्य के वकील इन निर्देशों के बारे में वर्तमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपराधिक जांच विभाग, पश्चिम बंगाल को सूचित करेंगे। **[**पैरा **38] [1001-**ए-बी**]**

बी.

सी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 7968।

डी.

2017 के डब्ल्यू. पी. संख्या 22537 (डब्ल्यू) में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.08.2017 के निर्णय और आदेश से।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., सुश्री इंदिरा जयसिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री निधि शर्मा, सुश्री पल्लवी चौहान, ओम नारायण, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, श्रीमती नीला केदार गोखले, एस. एस. रेबेलो, सुश्री सुहासिनी सेन, सुश्री शिविका अग्रवाल, राघव शर्मा, सुश्री आरजू पॉल, एन. पवना, सुश्री रिया सोनी, इलाम परीदी, सुश्री श्रुति दीक्षित, जी. एस. मक्कर, मनोज वी. जॉर्ज, सुश्री शिल्पा लिजा जॉर्ज, आकाश कामरा, डी. रामकृष्ण रेड्डी, सुश्री पूनम कौशिक, सुश्री शर्मा, सुश्री मुक्ति चौधरी, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक महाजन, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, डॉ. राजेश पांडे, सुश्री तनुजा मंजरी पात्रा, सुश्री श्वेता मूलचंदानी, मनोज सेल्वराज एस., महेश पांडे, सुश्री अश्वथी एम. के., विशाल प्रसाद, वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, संजय कुमार विसेन, सतीश कपूर,

ई.

एफ.

जी.

एच.

सुश्री गीतांजलि त्रिपाठी, सुश्री रितु रस्तोगी, सुश्री संगीता जोशी, सुश्री सस्मित त्रिपाठी, विकास महाजन, विनोद शर्मा, अनिल कुमार, आकाश वर्मा, एम. शोएब आलम, लीशांगथेम रोशनी ख, सुश्री अनुपमा नगंगोम, सुश्री मैबम बबीना, अरिबाम जानकीनाथ शर्मा, सुश्री के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, सनी चौधरी, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अंकित अग्रवाल, अमर्त्य सिंह, नरेंद्र कुमार, राघवेंद्र कुमार, एम. योगीश कन्ना, राजराजेश्वरन एस., शिबाशीष मिश्रा, एस. देबब्रत रेड्डी,उदय कुमार सागर, सुश्री स्वाति भारद्वाज, गोपाल सिंह, सुभाशीष मोहंती, शुभोदीप रॉय, सुमीर सोधी, पीयूष द्विवेदी, सुश्री जसप्रित गोगिया, वी. जी. प्रगसम, आर. पी. गुप्ता, प्रेम सुंदर झा, मिलिंद कुमार, अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू एस. मुखर्जी, समर्थ खन्ना, जी. एन. रेड्डी, श्रीमती टी. विजय भास्कर रेड्डी, श्रीमती सुजाता बागड़ी, महफूज नाज़की, पोलांकी गौतम, अधिवक्तागण आनंद, अविजीत मणि त्रिपाठी, सुश्री रेखा बख्शी, शौर्य सहाय, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती प्रियंका प्रकाश।उपस्थित दलों के लिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थ,

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता**,** जे।

एफ.

1. यह बहुत दुखद है!हम एक विलाप के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थापित संस्थानों ने अपने तथाकथित अधिकार क्षेत्र पर लड़ाई में उन्हें लगभग छोड़ दिया है।

2. भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1989 का हस्ताक्षरकर्ता है, जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को कन्वेंशन में निर्धारित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अनिवार्य बनाता है।भारत सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू किया।इसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद 'जेजे अधिनियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

जी.

एच.

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

3. बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष आयोगों का गठन करने वाला कानून बनाना समीचीन महसूस किया गया।संसद ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'सी. पी. सी. आर. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया।सी. पी. सी. आर. अधिनियम में धारा 3 के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (इसके बाद 'एन. सी. पी. सी. आर./राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित) और धारा 17 के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग (इसके बाद 'राज्य आयोग' के रूप में संदर्भित) के गठन की परिकल्पना की गई है।हम बाद के चरण में उनके संबंधित कार्यों और शक्तियों से निपटेंगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ये दोनों आयोग-एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर-सहयोग की भावना से काम करेंगे।हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सी. पी. सी. आर. अधिनियम द्वारा उन्हें दिए गए कर्तव्यों को पूरा करते हुए एक-दूसरे से परामर्श, चर्चा और सहयोग करेंगे। ये दोनों संस्थान भाई-बहन की प्रकृति के हैं।वे दोनों जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकले थे, वह एक ही है।, बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण आदि से बचाना। हम इन दोनों संस्थानों के बीच कोई वैमनस्य और समन्वय की कमी का कोई कारण नहीं देखते हैं।यह असहयोग और समन्वय की कमी तभी हो सकती है जब संस्थानों का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति बच्चों के हित से ऊपर अपने हितों को रखें।यह तभी होता है जब ऐसे आयोगों के प्रभारी खुद को इतना महत्व देते हैं कि वे भूल जाते हैं कि वे क़ानून का निर्माण हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य बच्चों की रक्षा करना है।

बी.

सी.

डी.

ई.

4. यह मामला एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के बीच लड़ाई में बच्चों को भुला दिया गया है।हमें खेद है कि इस न्यायालय को इस तरह के विवादों को हल करने में अपना समय बिताना पड़ा।इस न्यायालय के साथ-साथ हमारे सामने मुकदमा करने वाले दो प्रमुख पक्षों को निश्चित रूप से बेहतर काम करने हैं।

एफ.

5. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, ऐसा प्रतीत होता है कि फरवरी, 2017 में कुछ समय के लिए समाचार रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिससे संकेत मिलता है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित एक बाल-देखभाल संस्थान बड़े पैमाने पर बच्चों की तस्करी में लिप्त था। एन. सी. पी. सी. आर. ने आई. डी. 1 पर इन रिपोर्टों का संज्ञान लिया और एन. सी. पी. सी.

आर. के दो सदस्य आई. डी. 2 पर जलपाईगुड़ी गए।उन्होंने राज्य के अधिकारियों से उन्हें कुछ जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया, जो एनसीपीसीआर के अनुसार प्रदान नहीं की गई थी। अंततः उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), आपराधिक जांच विभाग (सी. आई. डी.), पश्चिम बंगाल (प्रतिवादी संख्या 1) को एन. सी. पी. सी. आर. के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया। यह सज्जन, इसके बजाय

जी.

एच.

एन. सी. पी. सी. आर. के समक्ष पेश होते हुए, उन्होंने उन्हें बुलाने के लिए एन. सी. पी. सी. आर. के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर करने का फैसला किया।उच्च न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 2 के विवादित आदेश द्वारा एन. सी. पी. सी. आर. के निर्देश पर मुख्य रूप से इस आधार पर रोक लगा दी कि चूंकि राज्य आयोग ने आई. डी. 1 पर मामले का संज्ञान लिया था, इसलिए एन. सी. पी. सी. आर. को प्रथम दृष्टया कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

बी.

6. सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 13 राष्ट्रीय आयोग के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है।सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 24 राज्य आयोगों में समान कार्य और शक्तियां निहित करती है।इसलिए सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 13 एन. सी. पी. सी. आर. और राज्य आयोगों दोनों के कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करती है।वह इस प्रकार हैः-

सी.

“13. आयोग के कार्य।- (1) आयोग करेगा

निम्नलिखित सभी या किसी भी कार्य को पूरा करना, अर्थात्ः-

(क) बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें; (ख) केंद्र सरकार को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जो आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के काम करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

डी.

(ग) बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना।

ई.

(घ) आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों का आनंद लेने में बाधा डालने वाले सभी कारकों की जांच करें और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें।

एफ.

(ई) संकटग्रस्त बच्चों, हाशिए पर पड़े और वंचित बच्चों, कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों, किशोरों, परिवार के बिना बच्चों और कैदियों के बच्चों सहित विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों पर ध्यान दें और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें।

जी.

(च) संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना और बाल अधिकारों पर मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना और बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।

एच.

983

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

(छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना; (ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

बी.

(i) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित किसी भी संस्था सहित बच्चों के नियंत्रण में किसी किशोर अभिरक्षा गृह, या बच्चों के लिए बने किसी अन्य निवास स्थान या संस्थान का निरीक्षण या निरीक्षण कराना; जहां बच्चों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इन अधिकारियों के साथ बात करना; (जे) शिकायतों की जांच करना और निम्नलिखित से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना -

सी.

((i) बाल अधिकारों से वंचित करना और उनका उल्लंघन करना।

डी.

((ख) बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों को लागू न करना।

((ग) बच्चों की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने और ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का पालन न करना।

ई.

या ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाया जाए; और

(ट) ऐसे अन्य कार्य जो बाल अधिकारों के संवर्धन और उपरोक्त कार्यों के लिए आनुषंगिक किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक समझते हैं।

एफ.

(2) आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है जो उस समय लागू किसी कानून के तहत विधिवत गठित किया गया है।"

जी.

7. धारा 13 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों को समान शक्तियों और कार्यों से लैस किया गया है।आयोगों का गठन न केवल बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया है, बल्कि बच्चों के अधिकारों को बढ़ाने के तरीकों और साधनों का सुझाव देने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।ये

एच.

आयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं।उन्हें केवल बच्चों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए।ये आयोग शक्ति, आत्म-वृद्धि या आधिकारिक कारों, बंगलों आदि जैसी शक्ति प्राप्त करने के स्रोत नहीं बन सकते हैं। जिन लोगों को इस तरह के आयोगों में नियुक्त किया जाता है, उन्हें सही मायने में बच्चों के दोस्त होने चाहिए, जो अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक हित को आगे बढ़ाने के बजाय बच्चों की मदद करने के लिए अपना समय और ऊर्जा

खर्च करने के लिए तैयार हों।8. कई अन्य कार्यों के अलावा, आयोग को जिन मुख्य कार्यों और शक्तियों को करने की आवश्यकता होती है, वे हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित कानूनी प्रावधानों की जांच और समीक्षा करना ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके; बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना; धारा 13 (डी) में उल्लिखित परिस्थितियों में बच्चों द्वारा अधिकारों का आनंद लेने में बाधा डालने वाले कारकों की जांच करना और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना; देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों, संकट में बच्चों, हाशिए पर और वंचित वर्गों के बच्चों, कानून के टकराव में बच्चों, परिवार के बिना बच्चों या कैदियों के बच्चों से संबंधित मामलों पर गहराई से विचार करना; विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों, संधियों और नीतियों का अध्ययन करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। धारा 13 (1) (i) आयोग को किसी भी किशोर अभिरक्षा गृह या बच्चों के लिए किसी अन्य निवास स्थान या संस्थान का निरीक्षण या निरीक्षण करने का अधिकार देती है, चाहे वह संस्थान राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा चलाया जाता है और इसमें सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित संस्थान शामिल हैं, जिसमें हमारी राय में गैर सरकारी संगठन भी शामिल होंगे।आयोग अन्य सभी आवश्यक कार्य कर सकते हैं और उन्हें इस संबंध में केंद्र सरकार/राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

9. वर्तमान मामले में, हम मुख्य रूप से सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (जे) में निर्दिष्ट आयोग के कार्यों से संबंधित हैं, जो आयोगों को शिकायतों की जांच करने या यहां तक कि बाल अधिकारों के अभाव और उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेने, बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों को लागू न करने, बच्चों की स्थितियों में सुधार और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन न करने आदि का अधिकार देता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निर्धारित प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन किए बिना बच्चों को गोद देना निश्चित रूप से एक ऐसा मामला होगा जिसकी जांच एनसीपीसीआर या राज्य आयोग दोनों द्वारा की जा सकती है।

जी.

एच.

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

10. हम, इस मामले में, मुख्य रूप से सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 13 (2) से संबंधित हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आयोग किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है जो उस समय लागू किसी कानून के तहत विधिवत गठित किया गया है।

11. इस मामले में निर्णय के लिए निम्नलिखित तीन प्रश्न उठते हैंः(i) क्या यह मामला पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष लंबित था, इससे पहले कि एनसीपीसीआर ने 03.03.2017 पर संज्ञान लिया और 07.03.2017 पर जांच शुरू की?

बी.

सी.

((ii) क्या सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 13 (2) दोनों आयोगों (एन. सी. पी. सी. आर. और राज्य आयोगों) को जलरोधक डिब्बों में रखती है जहां वे एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को हटा देते हैं?

((iii) क्या ऐसे मामले में जिसके अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं, एन. सी. पी. सी. आर. के अधिकार क्षेत्र, यदि कोई हो, को समाप्त किया जा सकता है?

डी.

12. हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने 'अधिकार क्षेत्र' शब्द का उपयोग किया है क्योंकि इसका उपयोग पक्षों द्वारा किया गया है।हालांकि, उचित शब्द 'अधिकार क्षेत्र' नहीं होना चाहिए, बल्कि संबंधित आयोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 'कार्य और शक्तियां' होनी चाहिए।हमारे विचार में यदि हम 'क्षेत्राधिकार' का उल्लेख नहीं करते हैं और आयोगों के 'कार्यों और शक्तियों' से नहीं निपटते हैं तो मामले बहुत सरल हो जाते हैं।अदालतों की तरह अधिकार क्षेत्र का निष्कासन नहीं होता है।धारा 13 (2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक आयोग जांच करे।सी. पी. सी. आर. अधिनियम की भाषा स्पष्ट है कि यदि राज्य आयोग या कानून के तहत गठित किसी अन्य आयोग ने धारा 14 के तहत जांच शुरू की है तो राष्ट्रीय आयोग को इस मामले में अपना हाथ बनाए रखना चाहिए।दोनों आयोगों के पास समान शक्तियाँ और कार्य हैं।राज्य आयोगों का अधिकार क्षेत्र उस राज्य तक सीमित है जिसके लिए ऐसा आयोग गठित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र पूरे देश में है और वह किसी भी राज्य में किसी भी मामले की जांच कर सकता है।हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि दोनों आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे सौहार्द की भावना से और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें, न कि विरोधी के रूप में।इस मामले में जो मुख्य मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर.) ने वास्तव में एन. सी. पी. सी. आर. द्वारा अपनी जांच शुरू करने से पहले इस मामले की जांच शुरू की थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

986

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

13. धारा 13 (1) (सी) राज्य आयोगों को बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने का अधिकार देती है।उन्नत कानून शब्दकोश 1 में 'पूछताछ' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" पूछताछ करें।प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करना; पूछना; जाँच या पूछताछ करना।"

बी.

जिस संदर्भ में 'पूछताछ' शब्द धारा 13 (1) (जे) में आता है, इसका स्पष्ट रूप से अर्थ केवल जानकारी के लिए अनुरोध करने से कुछ अधिक है।इसमें आयोग द्वारा इस प्रावधान में वर्णित तीन परिस्थितियों से संबंधित तथ्यों का पता लगाने में सक्रिय भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है।यह सिर्फ एक पत्र भेजने से कहीं अधिक है।यह प्रारंभिक जांच के समान है और यदि ऐसी जांच से संकेत मिलता है कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या कानूनों को लागू नहीं किया गया है या नीतिगत निर्णयों या दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है तो आयोग को उपचारात्मक उपायों का भी सुझाव देना चाहिए।धारा 13 (1) (जे) के तहत पूछताछ करने की इस शक्ति को धारा 13 (1) (सी) के तहत शक्ति के सहपठित भी पढ़ना होगा जिसमें बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करने की शक्ति शामिल है।इन दोनों खंडों को एक साथ पढ़ने से हमारे लिए यह स्पष्ट है कि 'पूछताछ' का मतलब फाइल पर नोट करना नहीं है, बल्कि कुछ और है।हम उन बच्चों से निपट रहे हैं जो शिकायत नहीं कर सकते।आयोगों का उद्देश्य उन बच्चों की रक्षा करना है जिनकी कोई आवाज नहीं है।इन आयोगों को ही बच्चों की परेशान करने वाली आवाज़ और भावनाओं को व्यक्त करना है।आयोग, इसके बाद, कानून के तहत अनुमति दिए जाने पर स्वयं कार्रवाई कर सकता है या कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश कर सकता है।

सी.

डी.

ई.

14. सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 14 और 15 का उल्लेख करना उचित होगा जो राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों दोनों पर लागू होती है।वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः-

एफ.

“14. पूछताछ से संबंधित शक्तियाँ।- (1).आयोग करेगा,

धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (जे) में निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक मुकदमे की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं और विशेष रूप से, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्ः-

जी.

(क) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जाँच करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन;

1 3 दूसरा संस्करण, 2005, पी. रामनाथ अय्यर, पी. जी. 2358 ए

एच.

987

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

((घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना; और

(ङ) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना।

बी.

(2) आयोग के पास किसी भी मामले को मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को भेजने की शक्ति होगी और जिस मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई मामला भेजा जाता है, वह आरोपी के खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 346 के तहत उसे भेजा गया हो।”

सी.

“15. पूछताछ के बाद कदम।-आयोग इस अधिनियम के तहत आयोजित जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है, अर्थात्:-

(i) जहां जांच से पता चलता है कि गंभीर प्रकृति के बाल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को अभियोजन की कार्यवाही शुरू करने या ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है जो आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ उचित समझे।

डी.

ई.

((ख) ऐसे निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करें जो उस न्यायालय को आवश्यक लगे।

(iii) पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को ऐसी अंतरिम राहत देने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश करें जो आयोग आवश्यक समझे।”15. किसी भी आयोग को धारा 13 (1) (जे) के तहत जांच करते समय दीवानी अदालत के समान व्यापक शक्तियां दी गई हैं और उसे किसी भी मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजने का अधिकार है और मजिस्ट्रेट से ऐसे मामले से निपटने की अपेक्षा की जाती है जैसे कि मामला न्यायालय प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के तहत उसे भेजा गया हो।आयोग जो अनुवर्ती कार्रवाई कर सकता है, वह सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 15 में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जो आयोग को अभियोजन या ऐसी अन्य कार्रवाई सहित कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करने का अधिकार देता है, जिसे आयोग उचित समझे।यह एक सिफारिश करने की शक्ति है लेकिन

एफ.

जी.

एच.

आम तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस संबंध में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगी।आयोग को दी गई दूसरी शक्ति एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश के लिए सर्वोच्च

न्यायालय या उच्च न्यायालय से संपर्क करना है।आयोग सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 15 (iii) के तहत पीड़ित को अंतरिम राहत देने की भी सिफारिश कर सकता है। उपरोक्त प्रावधान जो पूछताछ से संबंधित शक्तियों और उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित करते हैं, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विचार की गई जांच केवल जानकारी एकत्र करने से अधिक है, और यह जांच या पूछताछ की प्रकृति में अधिक है।

बी.

16. वर्तमान मामले में, विवाद यह है कि सबसे पहले जांच किसने शुरू की-चाहे वह डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. हो या राष्ट्रीय आयोग।जहाँ तक राष्ट्रीय आयोग का संबंध है, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि उसने 07.03.2017 पर अपनी जांच शुरू की थी जब इसके सदस्य मामले की जांच करने के लिए जलपाईगुड़ी गए थे।राष्ट्रीय आयोग का रुख यह है कि उन्हें पहली बार सूचित किया गया था कि राज्य आयोग ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रहा है, भले ही उन्होंने इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों को कई पत्र लिखे थे।डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. द्वारा दायर तिथियों की सूची से ऐसा प्रतीत होता है कि बाल अधिकार और तस्करी, पश्चिम बंगाल के निदेशक (संक्षेप में 'निदेशक, सी. आर. टी.') ने जलपाईगुड़ी के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर वहां अवैध बाल तस्करी पर एक रिपोर्ट मांगी है।जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी द्वारा 09.12.2016 पर एक जांच दल का गठन किया गया था और 11.01.2017 पर निदेशक, CRT को एक रिपोर्ट भेजी गई थी।इसके बाद, निदेशक, सी. आर. टी. ने एक आदेश पारित किया कि विशेष गोद लेने की एजेंसी (संक्षेप में 'एस. ए. ए.'), जलपाईगुड़ी गोद लेने के दिशानिर्देश, 2015 और जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है और उत्तर बंगाल पीपुल्स डेवलपमेंट सेंटर (संक्षेप में 'एन. बी. पी. डी. सी.') द्वारा संचालित एस. ए. ए. जलपाईगुड़ी के 15 बच्चों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है।17.01.2017 पर, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (संक्षेप में 'CARA') ने CID, पश्चिम बंगाल में शिकायत दर्ज कराई।22.01.2017 पर, इस बाल तस्करी रैकेट के बारे में स्थानीय समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई।15.02.2017 पर, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल द्वारा सी. ए. आर. ए. द्वारा की गई शिकायत की जांच के लिए एक दल का गठन किया गया था। 16.02.2017 पर, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल की एक टीम जलपाईगुड़ी गई।17.02.2017 पर, डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. के अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें सूचित किया गया था कि राज्य आयोग ने 22.01.2017 पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लिया है।19.02.2017 पर, मामले में एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) दर्ज की गई थी।रिपोर्ट दिनांकित 11.01.2017, ए को संदर्भित करती है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

989

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

ऊपर, 24.02.2017 पर डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. को भेजा गया था।इसके बाद, समाचार आइटम फिर से 26.02.2017 पर दिखाई दिए और संबंधित गोद लेने के केंद्र की दो महिला अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।मान लीजिए, एन. सी. पी. सी. आर. ने आई. डी. 1 पर इस घटना पर ध्यान दिया और आई. डी. 2 पर एन. सी. पी. सी. आर. के दो सदस्यों ने जांच करने के लिए जलपाईगुड़ी का दौरा किया।

17. हमने डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से इस मामले के संबंध में डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. की फाइल प्रदान करने का अनुरोध किया था, जो प्रदान की गई थी।फाइल को देखने के बाद, हम केवल इतना कह सकते हैं कि फाइल को आधिकारिक फाइल की तरह नहीं रखा गया है।कागजों को लापरवाही से रखा जाता था।नोटिंग शीट को छोड़कर, अन्य पेपरों को टैग नहीं किया गया था।अन्य पत्र भी पृष्ठांकित नहीं थे।ऐसी फाइल में किसी भी स्तर पर परिवर्धन और परिवर्तन हो सकते हैं।इसलिए, हम इस तरह की खराब रखरखाव वाली फाइल पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकते हैं और डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं कि भविष्य में, विशेष रूप से शिकायतों की फाइलों को उचित तरीके से बनाए रखा जाए।इस फाइल का एक हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों के अनुसार, डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने 22.01.2017 दिनांकित समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर 30.01.2017 पर घटना का स्वतः संज्ञान लिया। नोटिंग शीट में कहा गया था कि मामले को उचित कार्रवाई के लिए रखा जाए।हालाँकि यह नोट दिनांकित है 30.01.2017and अध्यक्ष, डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. के सामने रखा गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष ने लिखा है कि उन्हें 10 दिनों के बाद आगे की कार्रवाई के लिए याद दिलाया जाना चाहिए।फाइल को फिर से 13.02.2017 पर अध्यक्ष के सामने रखा गया।14.02.2017 पर यह आदेश दिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट/जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।एक मसौदा पत्र रखा गया था जिसे 16.02.2017 पर अनुमोदित किया गया था और 17.02.2017 पर भेजा गया था।डी. सी. पी. ओ., जलपाईगुड़ी ने मेल दिनांक 24.02.2017 के माध्यम से रिपोर्ट भेजी।मामला फिर से अध्यक्ष के समक्ष रखा गया, जिन्होंने निर्देश दिया कि रिपोर्ट को रिकॉर्ड के लिए रखा जाए।फाइल पर अगला नोट 15.03.2017 का है।15.03.2017 का यह नोट बाल तस्करी के हाल के मामलों के बाद स्थिति की सहायता और निगरानी के लिए 10.03.2017 और 11.03.2017 पर जलपाईगुड़ी के अध्यक्ष और

सचिव की यात्रा के संबंध में रखा गया है।हालाँकि, यात्रा की तारीख 10.03.2017 और 11.03.2017 है, नोट को 15.03.2017 पर रखा जाता है और उसी तारीख को अनुमोदित किया जाता है।हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यात्रा के लिए नोट यात्रा से पहले क्यों नहीं रखा गया था।हमने डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. के अध्यक्ष द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया है और पाया है कि रिपोर्ट एन. सी. पी. सी. आर. के सदस्यों के खिलाफ आरोपों की प्रकृति में अधिक है। रिपोर्ट वस्तुतः बच्चों की तस्करी से संबंधित मुद्दे से संबंधित नहीं है।हम इस रिपोर्ट पर बाद में चर्चा करेंगे।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

18. भले ही हम डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. के रिकॉर्ड को सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर भी 30.01.2017 पर 'स्वतः संज्ञान लेता है' शब्द का उपयोग करने के अलावा, डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने मामले की जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, जो कि सी. पी. सी. आर. अधिनियम की धारा 13 (1) (जे) का अधिदेश है, जब तक कि इसके अध्यक्ष की 10.03.2017 और 11.03.2017 पर यात्रा नहीं हुई थी।हम यह स्पष्ट करते हैं कि हर मामले में व्यक्तिगत यात्रा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस मामले से निपटा गया है, वह वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है।अगर 30.01.2017 पर संज्ञान लिया गया था, तो यह निर्देश दिया गया था कि मामले को अध्यक्ष को 10 दिनों के बाद आगे की कार्रवाई करने के लिए याद दिलाने के लिए रखा जाए।इस तरह के मामलों में कोई देरी नहीं होती है।मामला सामने आने के बाद भी जांच कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इतना ही किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट/डी. सी. पी. ओ. को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।वह रिपोर्ट 24.02.2017 पर दाखिल की गई थी और यह आदेश दिया गया था कि रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जाए।ऐसा प्रतीत होता है कि एन. सी. पी. सी. आर. के

सदस्यों के दौरे के बाद ही डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने वास्तव में जलपाईगुड़ी का दौरा करना और स्थिति का जायजा लेना आवश्यक समझा।

बी.

सी.

19. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जहां तक एन. सी. पी. सी. आर. का संबंध है, एन. सी. पी. सी. आर. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी को एक संदेश भेजा गया था जिसमें उन्हें विचाराधीन घर के संबंध में विशिष्ट जानकारी देने के लिए कहा गया था।इसके बाद, एन. सी. पी. सी. आर. के दो सदस्यों ने जलपाईगुड़ी का दौरा किया और भले ही जांच 03.03.2017 पर शुरू नहीं हुई, लेकिन यह निश्चित रूप से 07.03.2017 पर शुरू हुई।इसने विशेष रूप से नए जलपाईगुड़ी जिले में बाल कल्याण समिति (सी. डब्ल्यू. सी.) के गैर-गठन के संबंध में 23.08.2013-28.08.2015 से विभिन्न कमियों को पाया।इसने यह भी पाया कि तदर्थ सी. डब्ल्यू. सी. काम कर रहा था जो कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।इसलिए, एनसीपीसीआर ने 16.03.2017 पर जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी को एक पत्र भेजा जिसमें घरों के पंजीकरण की स्थिति, सीडब्ल्यूसी की स्थिति आदि की मांग की गई। आई. डी. 1 पर, एन. सी. पी. सी. आर. ने जिला मजिस्ट्रेट को एक और पत्र भेजा जिसमें विशेष रूप से पूछा गया कि क्या डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने एन. सी. पी. सी. आर. के सदस्यों के दौरे से पहले या एन. सी. पी. सी. आर. द्वारा जांच शुरू करने के बाद मामले की जांच शुरू की थी। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने कोई जवाब नहीं दिया।फिर, एनसीपीसीआर ने जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी को 12.04.2017 पर व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 25.04.2017 पर तलब किया।जिला मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं हुए लेकिन दिनांक 21.04.2017 के संचार के माध्यम से कुछ जानकारी भेजी।हालाँकि, इस संचार में भी इस विशिष्ट प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि क्या डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने मामले की जांच शुरू की थी।एनसीपीसीआर ने भी लगभग दो महीने तक कोई कदम नहीं उठाया।एन. सी. पी. सी. आर. ने ए. डी. जी. पी., सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल (प्रतिवादी संख्या 1) से निम्नलिखित जानकारी मांगीः- ए.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

991

“1. इस मामले में लगभग 17 बच्चों की बिक्री का उल्लेख किया गया है, जिसमें बच्चों को देश और विदेश दोनों में बेचा गया था।जब से यह संगठन अस्तित्व में आया है, इस संगठन के माध्यम से कितने बच्चों को गोद लिया गया है, उनकी सूची आयोग को प्रदान करें।2. इस मामले में, बच्चे अनिवासी भारतीय और विदेशी दोनों जोड़ों को दिए गए थे, इसलिए यह मामला अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का मामला प्रतीत होता है।अनिवासी और विदेशी कूपों को कितने बच्चे दिए गए हैं, इस संबंध में अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

बी.

3. अखबार के अनुसार, इस अपराध में जाली तरीके से राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के जाली कागजात और कागजात का इस्तेमाल किया गया है।सी. आई. डी. द्वारा जब्त किए गए कागजातों की प्रतियां, बयान और साक्ष्य की सूची/प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराई जाएं।

सी.

4. इस मामले में हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की सूची, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, सभी जांच रिपोर्टों की प्रतियां आयोग को प्रदान की जाएं।हिरासत में लिए गए लोगों के बयान की प्रति।

डी.

5. वर्ष 2013 से 2015 तक जलपाईगुड़ी जिले में बाल कल्याण समिति का गठन नहीं किया गया था, इसके स्थान पर तदर्थ समिति काम कर रही थी।आयोग को इस समिति से संबंधित निम्नलिखित कागजात/दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं:-

ई.

आई. तदर्थ समिति के गठन के लिए आदेश की प्रति।ii. तदर्थ समिति में शामिल लोगों के नाम, पदों/पदनामों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

एफ.

iii.अपने कार्यकाल के दौरान तदर्थ समिति द्वारा बुलाई गई बैठकों के कार्यवृत्त।

iv.तदर्थ समिति द्वारा कितने बच्चे लिए गए थे, इस बारे में निर्णय, उन सभी से संबंधित सभी केस फाइलों की प्रतियां।

जी.

यदि न्यायालय में कोई आरोप पत्र दायर किया गया है, तो उसकी प्रतिलिपि बनाएँ।”

20. उसी दिन जलपाईगुड़ी के जिला मजिस्ट्रेट को भी एनसीपीसीआर द्वारा तदर्थ समिति और तदर्थ के सदस्यों के गठन से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया गया था

एच.

समिति।उसी दिन एनसीपीसीआर द्वारा महिला और बाल विकास विभाग, पश्चिम बंगाल को इस मामले की जांच शुरू करने और सरकार की रिपोर्ट के बारे में एनसीपीसीआर को सूचित करने के लिए एक और संदेश भेजा गया था।एन. सी. पी. सी. आर. के अनुसार, किसी भी अधिकारी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।इसके बाद, 13.07.2017 पर एक और अनुस्मारक भेजा गया।कोई विकल्प नहीं होने के कारण, एडीजीपी, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल को संबंधित दस्तावेजों के साथ एन. सी. पी. सी. आर. के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया।पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 22.07.2017 पर जानकारी मांगने के लिए एक पत्र भी भेजा गया था।एडीजीपी, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल ने 24.07.2017 पर पत्र/फैक्स द्वारा एन. सी. पी. सी. आर. को सूचित किया कि चूंकि डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. पहले ही मामले को आगे बढ़ा चुका है, इसलिए एन. सी. पी. सी. आर. को वर्तमान मामले में अपना हाथ बनाए रखना चाहिए।इस बीच 21.07.2017 पर, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल द्वारा कुछ जानकारी प्रदान करते हुए एक रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन अधिकांश जानकारी नहीं भेजी गई थी।इसके बाद, एन. सी. पी. सी. आर. ने ए. डी. जी. पी., सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल को 14.08.2017 पर एन. सी. पी. सी. आर. के सामने 29.08.2017 पर उपस्थित होने के लिए समन जारी किया।एडीजीपी, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके इन समन को चुनौती दी।राज्य के महाधिवक्ता डॉ. राजेश कुमार, एडीजीपी, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए।उच्च न्यायालय आक्षेपित आदेश के माध्यम से, प्रथम दृष्टया, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने 24.02.2017 पर मामले का संज्ञान लिया था, इसलिए एन. सी. पी. सी. आर. को इस विषय पर अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित किया गया है।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने समन पर रोक लगा दी।

बी.

सी.

डी.

ई.

21. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि राज्य आयोग (डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर.) और राष्ट्रीय आयोग (एन. सी. पी. सी. आर.) के बीच अहंकार के इस टकराव में, इस पूरी अवधि के लिए, पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के अलावा, प्रशासनिक पक्ष द्वारा मामलों को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया।

22. पुलिस ने कार्रवाई की है, मामला दर्ज किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और हमें बताया गया है कि अधिकांश बच्चे अपने माता-पिता के साथ फिर से मिल गए हैं।हम जानबूझकर मामले के आपराधिक पहलुओं पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।हम ऐसा करने से बचते हैं क्योंकि हमारी ओर से कोई भी टिप्पणी अभियुक्तों के मुकदमे को प्रभावित कर सकती है जो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मुकदमे के हकदार हैं।वास्तव में, चूंकि अवैध गोद लेने के संबंध में आपराधिक कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए वास्तव में दोनों आयोगों में से किसी द्वारा भी इस संबंध में कोई जांच नहीं की जा सकी।हालाँकि, राष्ट्रीय आयोग निश्चित रूप से यह जांच करने का हकदार था कि उचित सी. डब्ल्यू. सी. का गठन क्यों नहीं किया गया था और किन आदेशों के तहत तदर्थ सी. डब्ल्यू. सी. काम कर रहे थे।आयोग उन तथ्यात्मक पहलुओं की भी जांच कर सकते हैं जिनके कारण बच्चों की तस्करी हुई, हालांकि वास्तविक ए की नहीं।

एफ.

जी.

एच.

993

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

अपराध स्वयं।वास्तव में, हमारा विचार है कि इस तरह की पूछताछ आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।यदि सी. डब्ल्यू. सी. का उचित रूप से गठन किया गया होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होती।

23. हालांकि हमारा विचार है कि कथित अवैध गोद लेने की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि एक आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है, साथ ही हम उस तरीके से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते जिस तरह से राज्य आयोग (डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर.), राष्ट्रीय आयोग (एन. सी. पी. सी. आर.) और राज्य सी. आई. डी. के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संभाला है।हम पहले ही डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. की ओर से सतर्कता की कमी पर टिप्पणी कर चुके हैं, जिसने कथित तौर पर 30.01.2017 पर मामले का संज्ञान लिया, लेकिन 10.03.2017 तक मामले की जांच के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, सिवाय एक रिपोर्ट के।एन. सी. पी. सी. आर. के सदस्यों ने 07.03.2017 पर जलपाईगुड़ी का दौरा किया और सी. डब्ल्यू. सी. सदस्यों का बयान दर्ज किया।इस प्रकार दर्ज किए गए बयानों के अनुसार, अभियुक्तों में से एक, जो एन. बी. पी. डी. सी. का सचिव था, जो संबंधित एस. ए. ए. चला रहा था, ने 20 बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से योग्य घोषित करने के लिए प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना की, जिन्हें उन्होंने सी. डब्ल्यू. सी., जलपाईगुड़ी से गोद लेने के लिए कानूनी रूप से योग्य (एल. एफ. ए.) प्रमाण पत्र के बिना संभावित दत्तक माता-पिता (पी. ए. पी.) के समक्ष रखा।बयानों के अनुसार, सीडब्ल्यूसी के सदस्य इस बात से हैरान थे कि कानूनी प्रक्रिया का

पालन नहीं किया गया था।इन सदस्यों के अनुसार, उन्होंने विभिन्न अधिकारियों से शिकायत की लेकिन उन्हें यह प्रमाण पत्र देने के लिए मजबूर किया गया कि बच्चे गोद लेने के लिए कानूनी रूप से उपयुक्त हैं।बयान देने वाले पक्षों की अनुपस्थिति में, हम यह कहने के अलावा कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि यदि सी. डब्ल्यू. सी. के किसी सदस्य को ऐसा प्रमाण पत्र देने के लिए मजबूर या दबाव डाला जा सकता है तो उस सदस्य को कभी भी सी. डब्ल्यू. सी. के सदस्य के रूप में या बाल अधिकार संस्थान में किसी भी क्षमता में नियुक्त किए जाने का कोई काम नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

24. हालाँकि, हम पाते हैं कि अध्यक्ष, डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. की रिपोर्ट में उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है कि उन्होंने घर का दौरा किया था और परिसर का निरीक्षण किया था, लेकिन बच्चों की तस्करी के तरीके के बारे में और कुछ नहीं लिखा गया है।शेष रिपोर्ट एन. सी. पी. सी. आर. के सदस्यों के कथित कदाचार से संबंधित है जब वे कोरक में घर गए थे।आरोप है कि गृह अधीक्षक ने शिकायत की कि एनसीपीसीआर दल टेलीविजन मीडिया सहित पूरे मीडिया को केंद्र के अंदर ले आया था और अधीक्षक के विरोध के बावजूद मीडिया को घर के अंदर लाया गया था।एक बार फिर, अध्यक्ष उल्लेख करते हैं

जी.

एच.

कि जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी शिकायत की कि एनसीपीसीआर की टीम मीडिया को हर जगह ले आई थी और सभी का अपमान किया था।हालाँकि, हमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए पत्र में इस तरह का कुछ भी उल्लेख नहीं मिला।जो भी हो, हम पाते हैं कि अध्यक्ष डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. की रिपोर्ट बाल तस्करी के मुद्दे से बिल्कुल भी नहीं निपटती है।

बी.

25. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब अध्यक्ष की रिपोर्ट पर बहस हो रही थी, तो डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. को हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया था और हमने इसे केवल फाइल में देखा था।इसलिए, हम अध्यक्ष, डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से क्योंकि हमने एन. सी. पी. सी. आर. को इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसका खंडन करने का अधिकार नहीं दिया है।हालाँकि, भले ही सभी पहलू सही न हों, लेकिन मीडिया को घर के अंदर ले जाने का केवल एक पहलू सही है, हमें उसी पर अपनी नाराजगी व्यक्त करनी होगी।हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आयोगों के सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह राष्ट्रीय आयोग हो या राज्य आयोग, जब वे जेजे अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत स्थापित किसी भी घर में जाते हैं तो मीडिया को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है।बच्चों की निजता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।दो निकायों के बीच इस लड़ाई में, बच्चे मीडिया युद्ध का विषय नहीं हो सकते हैं।हम ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा।

सी.

डी.

26. राष्ट्रीय आयोग की भूमिका पर आते हुए, हम किसी तरह महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय आयोग भी बच्चों की दुर्दशा को सुधारने के बजाय राज्य आयोग या राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मामलों को निपटाने में अधिक रुचि रखता था।03.03.2017 पर, एन. सी. पी. सी. आर. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से निम्नलिखित जानकारी मांगी गई थीः-

ई.

एफ.

“1. क्या यह घर पंजीकृत था?संगठन के पंजीकरण की प्रति, संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची आयोग को प्रदान की जाए।

2. क्या यह गृह केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण से पंजीकृत था?सी. ए. आर. ए. में पंजीकरण से संबंधित जो भी कागजात उपलब्ध हों, उन्हें आयोग को उपलब्ध कराया जाए।3. क्या यह संगठन जिला दत्तक प्राधिकरण के रूप में काम कर रहा था?महिला और बाल विकास विभाग, पश्चिम बंगाल में पंजीकरण से संबंधित कागजात आयोग को उपलब्ध कराए जाएं।

जी.

एच.

4. यदि यह संगठन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन न्यायाधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त धारा 41 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत चलाया गया है, तो आयोग को संबंधित कागजात उपलब्ध कराए जाएं।5. इस मामले में, इस मामले में लगभग 17 बच्चों की बिक्री का उल्लेख किया गया है, जिसमें बच्चों को कॉट्री 8 और विदेशों दोनों में बेचा गया था।जब से यह संगठन अस्तित्व में आया है, इस संगठन के माध्यम से कितने बच्चों को गोद लिया गया है, उनकी सूची आयोग को प्रदान करें।

बी.

6. इस मामले में, बच्चों को अनिवासी भारतीय और विदेशी दोनों कूपों को दिया गया था, इसलिए यह मामला अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का मामला प्रतीत होता है।अनिवासी और विदेशी जोड़ों को कितने बच्चे दिए गए हैं, इसका अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

सी.

7. अखबार के अनुसार, इस अपराध में जाली तरीके से राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के जाली कागजात और कागजात का इस्तेमाल किया गया है।सी. आई. डी. द्वारा जब्त किए गए कागजातों की प्रतियां, बयान और साक्ष्य की सूची/प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराई जाएं।8. इस मामले में हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की सूची, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, सभी जांच रिपोर्टों की प्रतियां आयोग को प्रदान की जाएं।

डी.

ई.

9. बाल कल्याण समिति (सी. डब्ल्यू. सी.) द्वारा संगठन में कितने बच्चों को भेजा गया, पिछले पांच वर्षों के दौरान सी. डब्ल्यू. सी. ने कितनी बार संगठन का दौरा किया और संगठन से संबंधित जो भी अन्य कार्यवाही शुरू की गई है, उनकी प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराई जाएं।

एफ.

10. पिछले तीन वर्षों में उपरोक्त संगठन में जिला प्रशासन द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों की रिपोर्ट और संगठन के पंजीकरण के समय किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

जी.

11. बाल कल्याण (सी. सी. आई.) से संबंधित गोद लेने वाले संगठनों या संगठनों/संस्थानों की सूची उपलब्ध कराएं, चाहे वे जलपाईगुड़ी में पंजीकृत हों या अपंजीकृत हों, आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

एच.

12. यदि कोई अन्य संगठन/संस्थान अवैध कृत्यों में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, तो उनकी सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

13. क्योंकि जलपाईगुड़ी जिले की सीमाएँ नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए जिले में दर्ज तस्करी के मामलों की सूची और जिले से लापता बच्चों आदि के बारे में दर्ज शिकायतों की सूची।आयोग को भी उपलब्ध कराया जाए।"

बी.

27. हमारी राय में, जिला मजिस्ट्रेट को प्रश्न संख्या 7 और 8 को छोड़कर सभी उपरोक्त प्रश्नों के लिए आवश्यक जानकारी देनी चाहिए थी क्योंकि ये सी. आई. डी. द्वारा जब्त किए गए कागजातों की प्रतियों और मामले में हिरासत में लिए गए सभी लोगों की सूची से संबंधित हैं।सी. पी. सी. आर. अधिनियम के तहत आयोगों के पास आपराधिक मामलों की निगरानी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।उनका अधिकार क्षेत्र कानून और व्यवस्था की निगरानी तक नहीं फैला है जो कि राज्य का विषय है।28. इसके बाद, एन. सी. पी. सी. आर. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से 16.03.2017 पर निम्नलिखित जानकारी भी मांगी गईः

सी.

डी.

"14. वर्ष 2013 से 2015 तक जलपाईगुड़ी जिले में बाल कल्याण समिति का गठन नहीं किया गया था, इसके स्थान पर तदर्थ समिति काम कर रही थी।इस समिति से संबंधित निम्नलिखित कागजात/दस्तावेज आयोग को उपलब्ध कराए जाएंः-

ई.

आई. तदर्थ समिति के गठन के लिए आदेश की प्रति।

ii.तदर्थ समिति में शामिल लोगों के नाम, पदों/पदनामों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

एफ.

iii.अपने कार्यकाल के दौरान तदर्थ समिति द्वारा बुलाई गई बैठकों के कार्यवृत्त।

iv.तदर्थ समिति द्वारा कितने बच्चे लिए गए थे, इस बारे में निर्णय, उन सभी से संबंधित सभी केस फाइलों की प्रतियां।

जी.

15. जाँच के दौरान, यह समझने के लिए दिया गया कि जिला बाल संरक्षण कार्यालय (डी. सी. पी. ओ.) का कार्यालय जो स्वयं कलेक्ट्रेट के परिसर में उपलब्ध है, को सील कर दिया गया है और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।उन सभी का विवरण और उनसे संबंधित निम्नलिखित जानकारी वांछित हैः- ए.

एच.

997

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

आई. जिन लोगों को पिछले 10 वर्षों में डी. सी. पी. ओ. कार्यालय में नियुक्त किया गया था।

ii.सभी नियुक्तियों के लिए आदेश दें।iii. नियुक्त सभी लोगों की सूची।"

29. हमारी राय में, उपरोक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी प्रदान की जा सकती थी, लेकिन उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, यह जानकारी तुरंत प्रदान नहीं की गई थी। 23.03.2017 पर, एनसीपीसीआर ने जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी को एक पत्र भेजा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया थाः-1. क्या पश्चिम बंगाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आयोग से संपर्क करने से पहले या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जांच शुरू करने के बाद आपके स्तर पर उपरोक्त मामले में कोई जांच शुरू की है?यदि ऐसा है तो कृपया इसका विवरण दें।

बी.

सी.

डी.

अभिलेखसँ ई प्रतीत होइत अछि जे एहि प्रश्नक कोनो उत्तर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहि पठाओल गेल छल।इसलिए, एन. सी. पी. सी. आर. को मामले में आगे की कार्यवाही में उचित ठहराया गया क्योंकि न तो जिला मजिस्ट्रेट या डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. द्वारा सूचित किया गया था कि डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने पहले ही मामले की जांच शुरू कर दी थी।12.04.2017 पर जिला मजिस्ट्रेट को समन जारी किए जाने के बाद ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भेजे।हालांकि, बड़ी संख्या में दस्तावेजों के संबंध में, यह कहा गया था कि चूंकि संबंधित डी. सी. पी. ओ. को गिरफ्तार कर लिया गया है और दस्तावेज उसकी हिरासत में थे, इसलिए आवश्यक कागजात का पता नहीं चल सका था।कुछ दस्तावेजों के संबंध में यह उल्लेख किया गया था कि सी. आई.

डी., पश्चिम बंगाल से संपर्क किया जा सकता है क्योंकि वे दस्तावेज आपराधिक मामले के संबंध में पुलिस के पास हैं।

ई.

एफ.

30. इसके बाद एन. सी. पी. सी. आर. द्वारा डॉ. राजेश कुमार (आई. पी. एस.), ए. डी. जी. पी., सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल को 20.06.2017 पर एक संदेश भेजा गया। यह किसी पुलिस अधिकारी को भेजा गया पहला पत्र था।इस पत्र में ऊपर उद्धृत कुछ जानकारी मांगी गई थी।डॉ. राजेश कुमार, एडीजीपी, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल ने उपरोक्त जानकारी प्रदान नहीं की और उसके बाद 13.07.2017 पर उन्हें एक अनुस्मारक भेजा गया।जिला मजिस्ट्रेट को भी इसी तरह का अनुस्मारक भेजा गया था।इसके बाद, डॉ. राजेश कुमार को 20.07.2017 समन जारी किया गया।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, डॉ. राजेश कुमार ने 24.07.2017 पर एक पत्र/फैक्स भेजा जिसमें उल्लेख किया गया है कि डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने मामले का संज्ञान लिया है और इसलिए, एन. सी. पी. सी. आर. पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जी.

एच.

जाँच शुरू करें।आई. डी. 1 पर उन्हें यह सूचित करते हुए जवाब भेजा गया था कि यदि वे राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 166 ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।इसके बाद, डॉ. राजेश कुमार ने उन्हें बुलाने के राष्ट्रीय आयोग के अधिकार को चुनौती देते हुए एक विस्तृत जवाब भेजा और पत्र में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी आपत्ति जताई।हम यह समझने में विफल हैं कि इस पुलिस अधिकारी ने ऐसा कदम क्यों उठाया।हम उल्लेख कर सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रयासों के बावजूद उन्हें सेवा नहीं दी गई है।हमें ऐसा लगता है कि वह किसी न किसी बहाने से हमारे सामने पेश नहीं होना चाहते हैं।हम यह देखने के लिए विवश हैं कि अभिलेख पर दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने राष्ट्रीय आयोग के साथ सहयोग नहीं किया।राज्य सी. आई. डी. द्वारा एन. सी. पी. सी. आर. को दिया गया जवाब है कि दस्तावेज़ न्यायालय के पास पड़े हैं।हमें यकीन है कि डॉ. राजेश कुमार स्तर के एक वरिष्ठ आई. पी. एस. अधिकारी को पता होना चाहिए कि न्यायालय में दाखिल करने से पहले पुलिस द्वारा सभी दस्तावेजों की प्रतियां भी रखी जाती हैं।

इन दस्तावेजों को राष्ट्रीय आयोग को क्यों नहीं दिया जा सका?कम से कम वे दस्तावेज जिनका मामले के आपराधिक पहलू से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन जो तदर्थ समितियों के गठन और उचित रूप से गठित सी. डब्ल्यू. सी. की अनुपस्थिति से संबंधित थे, प्रदान किए जा सकते थे।

31. दिनांकित 03.03.2017 पत्र के संबंध में, हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि प्रश्न एन. ओ. एस. से संबंधित जानकारी को छोड़कर सभी जानकारी। 7 और 8 का प्रावधान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए था।वास्तव में, प्रश्न एन. ओ. एस. के संबंध में भी। 7 और 8, भले ही जब्त किए गए कागजातों की प्रतियां और दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां प्रदान नहीं की जानी थीं, लेकिन हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सूची और प्राथमिकी की प्रति प्रदान करने में कोई समस्या नहीं थी। जहाँ तक दूसरे दिनांकित 16.03.2017 पत्र का संबंध है, हमें फिर से कोई कारण नहीं मिलता है कि जानकारी क्यों प्रदान नहीं की जा सकी।लेकिन चूंकि जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया था कि कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे राज्य सी. आई. डी. को सौंप दिया गया था, इसलिए हमने उम्मीद की होगी कि ए. डी. जी. पी., सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल को एन. सी. पी. सी. आर. को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए थी, सिवाय इसके जो केवल आपराधिक मामले की जांच से संबंधित थी।हमारे विचार में, न तो राष्ट्रीय आयोग और न ही राज्य आयोग के पास आपराधिक मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र था और वे जांच अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां नहीं मांग सकते।यह केवल अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के बीच का मामला हो सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

32. ऐसा कहने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि डॉ. राजेश कुमार स्पष्ट रूप से ए कारणों से एनसीपीसीआर के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे।

एच.

उसे सबसे ज्यादा जानते हैं।हमारे विचार में, राज्य आयोग ने सी. डब्ल्यू. सी. की अवैध स्थापना या कानूनों का उल्लंघन करते हुए कथित तदर्थ सी. डब्ल्यू. सी. के गठन की कोई जांच शुरू नहीं

की थी।हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि डॉ. राजेश कुमार ने ऊपर बताई गई जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदान करने वाले एन. सी. पी. सी. आर. के पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया।उनका यह जवाब कि दस्तावेज़ न्यायालय में दायर किए गए थे, स्पष्ट रूप से एक टालमटोल जवाब है।हम डॉ. राजेश कुमार के खिलाफ टिप्पणियां करने के लिए विवश हैं, भले ही वह हमारे सामने मौजूद न हों, क्योंकि हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि वह इस न्यायालय से भेजे गए नोटिसों को स्वीकार करने से बच रहे हैं।

बी.

33. पुलिस अधिकारियों को यह महसूस करना चाहिए कि जब सी. पी. सी. आर. अधिनियम के तहत गठित आयोग कुछ प्रासंगिक जानकारी मांगते हैं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक इसका जवाब देना चाहिए और तथाकथित 'अधिकार क्षेत्र' के विवाद को नहीं उठाना चाहिए।पुलिस अधिकारियों को भी यह समझना चाहिए कि इन आयोगों का गठन बच्चों के कल्याण के लिए किया गया है।यह मानते हुए भी कि डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने जांच शुरू कर दी थी, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि डॉ. राजेश कुमार एन. सी. पी. सी. आर. को जानकारी क्यों नहीं दे सकते थे। एन. सी. पी. सी. आर. के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाना उनका काम नहीं था। यदि किसी भी आयोग द्वारा किसी अधिकारी से जानकारी मांगी जाती है, तो वह आयोग के पत्रों का जवाब देने के लिए कर्तव्यबद्ध है।एक आयोग यह मुद्दा उठा सकता है कि चूंकि वह मामले को अपने हाथ में ले चुका है और इसकी जांच कर रहा है, इसलिए राष्ट्रीय आयोग को दूसरी जांच शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह का मुद्दा उठाना अधिकारियों का काम नहीं है।वास्तव में जांच शुरू की गई है या नहीं, यह एक अधिकारी द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।इसका निर्णय या तो आयोग द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा किया जाना है।इसलिए, हमारे विचार में, डॉ. राजेश कुमार को बेहतर सलाह दी जाती कि वे एन. सी. पी. सी. आर. के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के बजाय एन. सी. पी. सी. आर. को जानकारी दें।

सी.

डी.

ई.

एफ.

34. ऐसा मानने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि एनसीपीसीआर द्वारा डॉ. राजेश कुमार को भेजे गए पत्रों की भाषा भी अनावश्यक रूप से कठोर थी।हम पत्रों की सामग्री को दोहरा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे अनुसार, जब कोई आयोग जानकारी मांगता है, तो पत्र को एक अनुरोध की तरह तैयार किया जाना चाहिए, न कि एक आदेश की तरह।यदि इस तरह के अनुरोध का पालन नहीं किया जाता है, तो भी आयोग को सख्त शब्दों में एक और पत्र भेजना चाहिए जिसमें अधिकारी को आवश्यक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।लेकिन अधिकारियों को

गिरफ्तारी की धमकी देने की कोई आवश्यकता नहीं है।यह केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए।

जी.

35. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि हालांकि राष्ट्रीय आयोग ने बहुत जल्दबाजी दिखाई जब तक कि मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय तक नहीं गया।

एच.

मामला इस न्यायालय में आया, लगभग 2 वर्षों तक वस्तुतः कुछ भी नहीं किया गया और हमें मौखिक रूप से सूचित किया गया कि दस्तावेजों का बंगाली से हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद न होने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी।हमारा विचार है कि यदि एन. सी. पी. सी. आर. किसी मामले की जांच करने का फैसला करता है तो उसे क्षेत्रीय भाषाओं से दस्तावेजों का अनुवाद कराने के लिए अनुवादक की सेवाएं लेनी चाहिए।एक ओर, यह जाँच अपने हाथ में नहीं ले सकता है, भले ही राज्य आयोग ने जाँच शुरू नहीं की हो और दूसरी ओर, अनुवाद प्रदान करने के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर हो।हमें यकीन है कि दिल्ली में पर्याप्त विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जहां बंगाली पढ़ाई जाती है और अगर राष्ट्रीय आयोग वास्तव में जांच पूरी करना चाहता तो दस्तावेजों का अनुवाद किया जा सकता था।

बी.

सी.

36. जहाँ तक इस निर्णय के पैरा 12 में हमारे द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों का संबंध है, हम प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यह मानते हुए देते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. ने 07.03.2017 तक जांच शुरू नहीं की थी।जहाँ तक प्रश्न संख्या 2 का संबंध है, हमारा विचार है कि किसी भी आयोग की अधिकारिता को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है।धारा 13 (2) द्वारा रखी गई एकमात्र बाधा यह है कि यदि राज्य आयोग ने पहले ही जांच शुरू कर दी है, तो राष्ट्रीय आयोग को स्वाभाविक रूप से मामले की जांच करने से बचना चाहिए।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय आयोग अन्य बड़े प्रश्नों में नहीं जा सकता है जो बाल अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट घटनाओं का कारण बन सकते हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए।प्रश्न संख्या 3 के संबंध में हमारा मानना है कि राज्य आयोग को भी उन मामलों की जांच करने की शक्ति है जो उसके दायरे में आते हैं और भले ही अवैधता ऐसी हो कि इसके अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हों, जैसे कि एक बच्चे को अवैध रूप से गोद लेने के लिए विदेश भेजा

जा रहा है।यहां फिर से हमारा विचार है कि यदि राज्य आयोग ऐसे मामले में राष्ट्रीय आयोग या किसी अन्य राज्य आयोग से सहायता मांगता है, जहां बच्चे की अवैध रूप से तस्करी की गई हो, तो राष्ट्रीय आयोग या अन्य राज्य आयोगों को मामले की जांच करने वाले आयोग के साथ सहयोग करना चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

37. जैसा कि हम ऊपर स्पष्ट रूप से कहते हैं, दोनों आयोगों को सहयोग की भावना से बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करना होगा।दुर्भाग्य से, इस मामले में कोई सहयोग नहीं हुआ है, बल्कि एक-दूसरे पर कीचड़ उछाला गया है।हम दोहराना चाहते हैं और इस बात पर फिर से जोर देना चाहते हैं कि इसमें कोई क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे शामिल नहीं हैं।

जी.

एच.

1001

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाम डॉ. राजेश कुमार [दीपक गुप्ता, जे.]

ए.

38. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि डॉ. राजेश कुमार को वह जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो अब राज्य अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतीत होती है।यदि ऐसी जानकारी नहीं दी गई है, तो एडीजीपी, सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल के पद पर आसीन वर्तमान पदाधिकारी को इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति को जानकारी देने का निर्देश दिया जाता है।पश्चिम बंगाल राज्य के वकील इन निर्देशों के बारे में वर्तमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपराधिक जांच विभाग, पश्चिम बंगाल को सूचित करेंगे।

बी.

39. जैसा कि ऊपर बताए गए तथ्यों से स्पष्ट है, राज्य आयोग (डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर.) और राष्ट्रीय आयोग दोनों इस मामले में बेहद लापरवाही बरत रहे हैं।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि उन मुद्दों के अलावा जो आपराधिक मामले का हिस्सा हैं, हाथ में मौजूद मुद्दे और सी. डब्ल्यू. सी. और सी. डब्ल्यू. सी. के प्रमुखों की नियुक्ति के बड़े मुद्दों से संबंधित अन्य सभी मामलों की निगरानी न केवल इस मामले का संबंध है, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल राज्य के लिए भी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, अधिमानतः कलकत्ता उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा एक जनहित याचिका में।इन निर्देशों को आगे

बढ़ाते हुए, हम इस न्यायालय की रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक को भेजने का निर्देश देते हैं, जो इसे एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे।हम इस प्रकार गठित पीठ से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले से संबंधित तात्कालिकता के अनुसार निपटें और यदि आवश्यक हो, तो एक मूर्खतापूर्ण तंत्र स्थापित करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

सी.

डी.

ई.

40. जहां तक एन. सी. पी. सी. आर. और डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. के बीच के विवादों का संबंध है, इस अपील का आंशिक रूप से उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना और ऐसे मानवाधिकार न्यायालयों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के मुद्दे पर इस अपील के साथ-साथ 2019 की रिट याचिका (सी) No.819 में भी विचार किया जाएगा।एन. सी. पी. सी. आर. और डॉ. राजेश कुमार, ए. डी. जी. पी., सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल (प्रतिवादी संख्या 1) और डब्ल्यू. बी. सी. पी. सी. आर. के बीच विवाद से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

एफ.

जी.

अंकित ज्ञान

अपील का आंशिक रूप से निपटारा किया गया।

एच.